MOST-URGENT
OUT – TODAY

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/25105   दिनांक :– 09 अगस्त, 2020

:: आदेश ::

नोवल कोरोना वायरस (कोविड़–19) के संक्रमण, फैलाव एवं रोकथाम हेतु जनसाधारण के स्वास्थ्य एवं मानव जीवन की सुरक्षा के मध्यनजर राज्य सरकार स्तर से सम्पूर्ण राज्य में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी हैं, साथ ही इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 24027 दिनांक 04.08.2020 से भीलवाड़ा शहर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार एवं प्रतिदिन रात्रि 8.00 बजे एवं प्रातः 6.00 बजे तक की अवधि के लिये एवं शहर के पुलिस थाना क्षेत्र सुभाष नगर में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू कर संबंधित सम्पूर्ण क्षेत्र में लॉकडाऊन घोषित किया गया हैं।

इस क्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में आया है कि भीलवाडा शहरी क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक पार्को के साथ–साथ खाने–पीने की वस्तु रखने वाले, विक्रय करने वाले एवं उपयोग–उपभोग करने वाले आदि स्थलों पर संबंधित संचालक एवं जनसाधारण द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन, Wearing of Mask & Social Distancing की समुचित पालना नहीं की जा रही हैं।

इस संबंध में जिले में निरन्तर बढ रही कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या, विद्यमान वर्तमान परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के मध्यनजर जनसाधारण के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक–शांति बनाये रखने की दृष्टि से मुझे यह समाधान हो गया है एवं मै संतुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति मे **भीलवाड़ा शहर में संचालित जनसम्पर्क से संबंधित कतिपय गतिविधियों पर** दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से **प्रतिबन्ध लगाया** जावें।

अतः मैं **शिवप्रसाद एम. नकाते, (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** ऐसी स्थिति मे भीलवाडा शहर में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से भीलवाड़ा शहर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी करता हूं :–

1. **भीलवाड़ा शहर में संचालित सार्वजनिक पार्को में (नगर विकास न्यास एवं नगर परिषद की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में) – जनसाधारण का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।**
2. **भीलवाड़ा शहर में संचालित समस्त रेस्टोरेन्ट, होटल (होटल बोर्डिंग के अतिरिक्त), भोजनालय, मिठाई की दुकाने, बेकरी, खोमचे, ज्यूस की दुकाने, पानी–पताशे एवं चाट–पकोडे के ठेले/दुकानें, पान एवं चाय की दुकानें, फेरी वाले इत्यादि समान प्रकृति के व्यवसायों पर – जनसाधारण द्वारा समस्त खान–पान की वस्तुओं का उपयोग एवं उपभोग विक्रय स्थल पर नहीं कर मात्र** Take away (ले जाना) **अनुमत होगा।**

.... 2

3. **इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 24027 दिनांक 04.08.2020 से भीलवाड़ा शहर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार एवं प्रतिदिन रात्रि 8.00 बजे एवं प्रातः 5.00 बजे तक की अवधि के लिये जारी सख्त निषेधाज्ञा अवधि में समय संशोधन कर प्रतिदिन सांय 6.00 से प्रातः 5.00 बजे तक सख्त निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं, साथ ही पूर्व आदेश में वर्णित शेष निर्देश एवं प्रत्येक रविवार को लागू लॉकडाऊन यथावत रहेंगा।**

उक्त जारी निषेधाज्ञा की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्व पुलिस विभाग, अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का होगा।

मैं, जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं **"The Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020, National Disaster Manegment Act 2005** एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील कराया जाना सम्भव नहीं हैं। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु **भीलवाड़ा शहर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रों मे** मुख्य–मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रो के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

यह आदेश दिनांक 10 अगस्त 2020 से अग्रिम आदेशों तक **भीलवाड़ा शहर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में** प्रभावी रहेगा।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

प्रतिलिपि –

सूचनार्थ :–

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
3. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान

पालनार्थ :–

1. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को सख्ती से पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
2. अति० जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा

.... 3

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
4. सचिव, नगर विकास न्यास, भलीवाड़ा एवं आयुक्त नगर परिषद, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार प्रदत्त निर्देशानुसार आपके क्षेत्राधीन संचालित/स्थित सार्वजनिक पार्कों को बन्द कर जनसाधारण का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित करें।
5. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि उपखण्ड़ क्षेत्र में उक्तानुसार अपने स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को मध्यनजर रखते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में लाया जाकर निर्णय लिया जा सकेगा।
6. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
7. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिलाभीलवाड़ा कोआदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
8. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
9. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाडा
10. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
11. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि सार्वजनिक स्थलो पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगो को एकत्र नही होने की सलाह देने की व्यवस्था की जावे।
12. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
13. सम्बन्धित थानाधिकारी जिला भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से आदेश को जन साधारण को सूचित किये जाने हेतु। (द्वारा – जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा)
14. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा